आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक की योजना, रिटेल डायरेक्ट वैयक्तिक निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए समग्र-सेवा समाधान के रूप में बनाई गई है।

I. परिभाषाएँ

इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द निम्न के अंतर्गत निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होंगे:

क. एग्रीगेटर/प्राप्तकर्ता कार्यालय का अर्थ है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) या योजना के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था;

ख. इस योजना के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का अर्थ सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के खंड 3(iii) के अंतर्गत आरबीआई के पास व्यवस्थित एसजीएल/सीएसजीएल खाते में क्रेडिट स्टॉक के रूप में जारी प्रतिभूतियाँ। इसमें शामिल है:

i) सरकारी ट्रेजरी बिल;

ii) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ;

iii) राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी);

iv) राज्य विकास ऋण (एसडीएल)।

ग. सीसीआईएल के सदस्य/सह-सदस्य का अर्थ वे संस्थाएं जिन्हें सीसीआईएल की सदस्यता नीति के अंतर्गत सदस्यता मिल गयी है;

घ. एनडीएस-ओएम का अर्थ आरबीआई के स्क्रीन आधारित माध्यमिक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली;

ङ. ऑड लॉट सेगमेंट का अर्थ एनडीएस-ओएम का ऑड लॉट सेगमेंट;

च. ओटीपी का अर्थ वन-टाइम-पासवर्ड;

छ. ओवाईडी का अर्थ समय-समय पर संशोधित आरबीआई- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अंतर्गत परिभाषित आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़;

ज. ऑनलाइन पोर्टल का अर्थ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल;

झ. रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता (आरडीजी खाता) का अर्थ इस योजना के अंतर्गत आरबीआई के बही में व्यवस्थित गिल्ट खाता;

ञ. रिटेल निवेशक का अर्थ वैयक्तिक (नैसर्गिक व्यक्ति);

ट. कोट के लिए आवेदन का अर्थ आरबीआई के एनडीएस-ओएम प्रणाली के ऑन-स्क्रीन निगोसिएशान प्रणाली;

ठ. एसएमएस का अर्थ लघु संदेश सेवा।

ड. वीएफ़टी का अर्थ समय-समय पर संशोधित 16 नवंबर 2018 को आरबीआई के अधिसूचना द्वारा अनुमत के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों का 'मूल्य निरपेक्ष अंतरण'।

II. योजना का कार्य क्षेत्र

क. 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' एक व्यापक योजना है जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल निवेशकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है:

i) रिटेल डायरेक्ट खाता (आरडीजी खाता) खोलना और व्यवस्थित रखना

ii) सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम तक पहुँच

iii) एनडीएस-ओएम तक पहुँच

III. पात्रता

क. योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित रिटेल निवेशक आरडीजी खाता पंजीकृत और व्यवस्थित कर सकता है, यदि उनके पास निम्न है:

i) भारत में व्यवस्थित रुपए बचत बैंक खाता;

ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पैन);

iii) केवाईसी के लिए कोई ओवीडी;

iv) वैध ईमेल आईडी; और

v) पंजीकृत मोबाइल नंबर ।

ख. अनिवासी रिटेल निवेशक योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पात्र है।

ग. आरडीजी खाता एकल रूप में या पात्रता मानदंड को पूरा करते अन्य रिटेल निवेशक के साथ संयुक्त रूप में खोल सकते हैं।

IV. प्रक्रिया

<u>पंजीकरण</u>

i) निवेशक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकृत मोबाइल नं और ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी का प्रयोग करके फॉर्म को अधिप्रमाणित और प्रस्तुत कर सकते हैं।

ii) समय-समय पर अद्यतित आरबीआई- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अंतर्गत जारी निर्देशों का निवेशकों के द्वारा पालन किया जाएगा। सफल पंजीकरण पर,' रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' खुल जाएगा और एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल को प्रयोग करने की जानकारी बतायी जाएगी।

iii) आरडीजी खाता एनडीएस-ओएम पर प्राथमिक बाज़ार भागीदारी के साथ ही साथ द्वितीयक बाज़ार लेन-देन के लिए उपलब्ध होगा।

<u>प्राथमिक बाज़ार भागीदारी</u>

iv) सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक नीलामी में भागीदारी हेतु गैर-प्रतिस्पर्धी योजना और एसजीबी निर्गम के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिभूतियों की भागीदारी और आवंटन होगा।

v) प्रति प्रतिभूति केवल एक बोली की अनुमति है। बोली के प्रस्तुति पर, कुल भुगतान योग्य राशि को प्रदर्शित किया जाएगा।

vi) एग्रीगेटर / प्राप्तकर्ता कार्यालय को भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है:

क. पोर्टल पर बोलियों की प्रस्तुति के समय लिंक बैंक खाते से नेट-बैंकिंग/यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए राशि को डेबिट कर दिया जाएगा।

ख. यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए, जिससे सहबद्ध बैंक खाते में धन पोर्टल पर बोलियां जमा करने के समय अवरुद्ध किया जा सकता है जो नीलामी में सफल आवंटन पर इस खाते से डेबिट किया जाएगा। बैंकों के माध्यम से इसी तरह की सुविधा यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी।

ग. यदि कोई रिफ़ंड है, एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार निवेशकों के बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी।

vii) निपटान दिवस पर अपने आरडीजी खाते में क्रेडिट द्वारा निवेशकों को आवंटित प्रतिभूतियाँ जारी की जाएगी।

<u>द्वितीयक बाज़ार लेन-देन -एनडीएस-ओएम</u>

viii) पंजीकृत निवेशक एनडीएस-ओएम (ऑड लॉट सेगमेंट/आरएफ़क्यू) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर द्वितीयक बाज़ार लेन-देन लिंक प्राप्त कर सकता है।

खरीद

ix) भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरह किया जा सकता है:

क) ट्रेडिंग घंटे शुरू होने से पहले या दिन के दौरान, निवेशक को सहबद्ध बैंक खाते से नेट बैंकिंग/उपी का प्रयोग करते हुए सीसीआईएल (एनडीएस-ओएम के समाशोधन निगम) के नामित खाते में निधि अंतरित की जाएगी। वास्तविक अंतरण/सफल संदेश पर, ऑर्डर खरीदने के लिए निधीयन सीमा (खरीद सीमा) दी जाएगी। ट्रेडिंग सत्र के समाप्ति पर, निवेशक को क्रेडिट कोई भी अतिरिक्त राशि रिफ़ंड कर दी जाएगी।

ख) यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए, जिससे लिंक्ड बैंक अकाउंट में फंड ऑर्डर जो सेटलमेंट के दिन इस खाते से डेबिट किया जाएगा रखने के समय अवरुद्ध किया जा सकता है। बैंकों के माध्यम से समान सुविधा आने वाले समय में उपलब्ध करा दी जाएगी।

x) खरीदी गई प्रतिभूतियाँ निपटान दिवस पर आरडीजी खाते को क्रेडिट कर दी जाएगी।

बिक्री

xi) बिक्री के लिए चिन्हित प्रतिभूतियाँ ऑर्डर किए जाने से ट्रेड निपटान तक ब्लॉक कर दी जाएगी।

xii) बिक्री लेन-देन से निधियों से निपटान तारीख पर सहबद्ध बैंक खाता को क्रेडिट किया जाएगा।

<u>गैर-व्यापारिक लेन-देन - मुक्त निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी)</u>

xiii) 16 नवंबर 2018 को आरबीआई द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित वीएफ़टी दिशानिर्देश के अंतर्गत अनुमत लेन-देन योजना के अंतर्गत यथालागू रिटेल निवेशकों पर उपलब्ध होगा।

xiv) ऐसे उद्देश्यों के लिए, निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

V. निवेशक सेवाएँ

पंजीकृत निवेशक निम्नलिखित निवेशक सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं:

क. <u>खाता विवरण</u>

रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों होल्डिंग की लेन-देन हिस्ट्री और बकाया स्थिति उपलब्ध लिंक से प्राप्त किया जा सकता है। सभी लेन-देन एलर्ट ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख. <u>नामांकन सुविधा</u>

उचित रूप से हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्मेट में नामांकन फॉर्म को भरा और अपलोड किया जा सकता है। इसमे अधिकतम दो नामित हो सकते हैं। पंजीकृत निवेशक की मृत्यु होने पर, मृत्यु प्रमाणपत्र और ट्रांसमिशन फॉर्म के प्रस्तुति पर आरडीजी खाते में उपलब्ध प्रतिभूति आरडीजी खाते में या नामिती के किसी अन्य सरकारी प्रतिभूति खाते में प्रेषित की जा सकती है।

ग. <u>गिरवी/ग्रहणाधिकार</u>

आरडीजी खाते में रखी प्रतिभूतियाँ गिरवी/ग्रहणाधिकार के लिए उपलब्ध होगी।

घ. <u>उपहार लेन -देन</u>

'रिटेल डायरेक्ट निवेशक' को अन्य रिटेल डायरेक्ट निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को उपहार करने की ऑनलाइन सुविधा होगी।

ङ. <u>शिकायत निवारण</u>

'रिटेल डायरेक्ट' योजना से संबन्धित कोई प्रश्न या शिकायत पोर्टल पर डाले जा सकते है जो लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), मुंबई, आरबीआई द्वारा देखा/समाधान किया जाएगा।

VI. शुल्क एवं प्रभार

a. आरबीआई के पास 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' खोलने और व्यवस्थित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगी।

b. प्राथमिक नीलामियों में बोली प्रस्तुत करते समय एग्रीगेटर द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

c. पंजीकृत निवेशक द्वारा यथालागू पेमेंट गेटवे के लिए शुल्क का वहन किया जाएगा।